न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ (राज.)

अनवान बृजलाल बनाम गौरां देवी आदि

अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट क्रमांक 428/2023

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
26.05.2023	पत्रावली स्थगन प्रार्थना–पत्र पर आदेश हेतु पेश हुई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि का 30 वर्ष पूर्व अच्छी मंदी के हिसाब से बाहमी ही काश्त होती आ रही है। भूमि को समतल व उपजाउ बनाया है व अलग अलग सींव है परन्तु पक्षकारान के मध्य काश्त व लगान की बाबत आपस में तनाजा रहता है, इसलिए वादी अपने हक व हिस्सा की भूमि का मुताबिक बाहमी बंटवारा कर खाता अलग करवाना चाहता है तथा प्रतिवादी सं01 गैर कानूनी ढंग से जबरदस्ती बिना खाता विभाजन करवाये किसी अजनबी को हस्तान्तरण करने एवं वादी की कब्जा काश्त की भूमि पर जबदस्ती काबिज करवाने की धमकी देते हैं जिससे वादी को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए वादी अपने हिस्सा की भूमि का खाता करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायलाय में वकील उपस्थित आये थे एवं प्रार्थना–पत्र की मदों को इन्कार करते हुए जवाब पेश किया था कि विवादित भूमि का काफी वर्षों पहले अच्दी मंदी के हिसाब से बाहमी बंटवारा नहीं हुआ है। अतः दिनांक 22.12.2022 को जारी स्थगन आदेश को ताफैसला अपील जारी रखा जावे। रेस्पोडेण्ट ने स्थगन प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 4 प्रश्नगत भूमि के अभिलिखित खातेदार हैं। अपीलाण्ट ने हिस्सा से अधिक भूमि पर काबिज होने सम्बन्धित कथन नहीं किये हैं। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4 अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज है एवं अभिलिखित खातेदार काश्तकार को उसके नाम दर्ज भूमि का स्वतन्त्र रूप से उपयोग उपभोग करने से वंचित किया जाता है तो उसे अनावश्यक परेशानी होगी। रेस्पोडेण्ट अपने नाम दर्ज प्रश्नगत भूमि पर राज्य सरकार द्वारा दी जा रही	

Lovio

राजस्व अपील प्राधिकारी

हनुमानगढ़

विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाएगा। इस कारण अपीलाण्ट की अपेक्षा रेस्पोडेण्ट्स को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः स्थगन प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

बहस में आये तथ्यों के अनुसार प्रश्नगत रेस्पोडेण्ट्स सं0 1 ता 4 प्रश्नगत भूमि को खातेदार सह खातेदार हैं। स्थगन आदेश के द्वारा किसी भी सह खातेदार काश्तकार को उसके नाम दर्ज आराजी के उपयोग उपभोग से वंचित किया जाना उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा रेस्पोउेण्ट सं0 1 ता 4 की हद तक दिनांक 06.07.2022 को जारी अपनी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की है जो विधि सम्मत है। अतः इस न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा 22.12.2022 भी निरस्त की जाती हैं। चूंकि अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त कर दी गई है एसी स्थिति में अपील का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट भी खारिज की है। पत्रावली निर्णित शुमार व नंबर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

26.5.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़